उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–3142–कार्य/चौदह–पाकालि/2023–5–के/2020/आई0टी0 **दिनांकः 30 दिसम्बर, 2023**

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/समस्त विद्युत वितरण निगमों के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर (Condemnable Computers) एवं सहवर्ती उपकरणों के निस्तारण (Disposal) हेतु IT Scrap policy का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :–

IT Scrap Policy for Desktop/Laptop and Its Peripherals

(1) निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने हेतु समिति का गठन :–

(क) **उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के मुख्यालय स्तर पर** कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु समिति का गठन निम्नवत् होगा :–

1. मुख्य अभियंता–जानपद (पारेषण–द्वितीय) – अध्यक्ष
 (अनुपलब्धता की दशा में प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी)
2. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) अथवा लेखा स्कन्ध के वरिष्ठ अधिकारी – सदस्य
3. मुख्य अभियंता (आई0टी0) अथवा आई0टी0 स्कन्ध के वरिष्ठ अधिकारी – सदस्य
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी – सदस्य एवं नोडल अधिकारी

(ख) **विद्युत वितरण निगमों के डिस्काम्स मुख्यालय स्तर पर** कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु समिति का गठन निम्नवत् होगा :–

1. मुख्य अभियंता (सामग्री प्रबन्ध) – अध्यक्ष
 (अनुपलब्धता की दशा में प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी)
2. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) अथवा लेखा स्कन्ध के वरिष्ठ अधिकारी – सदस्य
3. प्रबन्ध निदेशक, डिस्कॉम द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी – सदस्य एवं नोडल अधिकारी
4. आई0टी0 स्कन्ध के वरिष्ठ अधिकारी – सदस्य

(ग) **विद्युत वितरण निगमों के क्षेत्रीय स्तर पर** कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु समिति का गठन निम्नवत् होगा :–

1. मुख्य अभियंता (वितरण) – अध्यक्ष
 (अनुपलब्धता की दशा में प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी)
2. सम्बन्धित क्षेत्र के वरिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता – सदस्य
3. सम्बन्धित उपमुख्य लेखाधिकारी – सदस्य
4. सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता (भण्डार) – सदस्य एवं नोडल अधिकारी

उपरोक्त प्रस्तावित कारपोरेशन, डिस्कॉम, क्षेत्रीय समिति की बैठक कार्य की निरन्तरता हेतु न्यूनतम 6 माह में एक बार होगी।

(2) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/वितरण निगमों/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित करने एवं सुगमतापूर्वक निस्तारण करने हेतु उनके प्रयोगार्थ निम्नानुसार गाईड लाइन होंगी :–

2.1 कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण की परिभाषा :–

कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण (ओ0एस0/अन्य यूटिलिटी साफ्टवेयर सहित) की परिधि में निम्नवत् आईटम सम्मिलित होंगे :–

- डेस्कटॉप कम्प्यूटर (पी0सी0)
- लेपटाप कम्प्यूटर
- टैब
- डम्ब टर्मिनल (नोड कम्प्यूटर)
- सिंगल एवं मल्टीफंक्शन प्रिंटर
- डॉक्यूमेन्ट स्कैनर
- ऑनलाइन/ऑफ लाइन यू0पी0एस0
- डाटा कम्यूनिकेशन उपकरण (हब, स्विच एवं राउटर आदि)

2.2 निष्प्रयोज्यता के आधार

कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निम्न आधार पर निष्प्रयोज्य घोषित किया जा सकेगा :–

क्र0सं0	*निष्प्रयोज्यता के आधार*	*आधार की शर्तें*
1.	टेक्नीकली आबसोलीट (Technically obsolete)	1. क्रय किये जाने से न्यूनतम 06 वर्ष अवधि पूर्ण हो चुकी हो तथा कार्य योग्य नहीं है एवं अनुरक्षण नहीं हो पा रहा हो। **अथवा** 2. क्रय किये जाने से 08 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी हो।
		अथवा
2.	बियोन्ड इकोनामिक रिपेयर (Beyond Economic Repair)	उपकरण की *वर्तमान वैल्यू (वार्षिक ह्रास मूल्य प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्ट्रेट लाइन मेथड दर से)* एवं उपयोग अवधि के सापेक्ष मरम्मत कास्ट अत्यधिक हो।
		अथवा
3.	नॉन–रिपेयरेबल (Non Repairable) अन सर्विसेबुल (Unserviceable)	कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण स्पेयर पार्ट की उपलब्धता न होने पर रिपेयर/सर्विस सम्भव नहीं हो पा रही हो।
		अथवा
4.	फिजिकली डैमेज्ड (Physically Damaged)	कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण अग्नि अथवा मानवीय नियंत्रण से परे किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया हो तथा क्षति रिपेयर से परे हो।

2.3. निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरणों का अनुमोदनः–

(क) उपरोक्त निष्प्रयोज्यता की शर्तों के आधार पर निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरणों हेतु सम्बन्धित को नियंत्रक अधिकारी द्वारा संलग्नक **प्रारूप–क** में इंगित सूचनाओं जैसे सीरियल नम्बर, मॉडल/मेक इत्यादि को पूर्णरूप से भरकर निष्प्रयोज्यता हेतु टिप्पणी तैयार की जायेगी।

(ख) उपरोक्त तैयार की गयी निष्प्रयोज्यता हेतु प्रस्तुत टिप्पणी को नियन्त्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्यक्षेत्र के सहायक अभियन्ता आई0टी0 एवं अधिशासी अभियन्ता आई0टी0 (अनुपलब्धता की दशा में डिस्काम आई0टी0 इकाई द्वारा नामित किया जायेगा) से संयुक्त रूप से सत्यापित कराया जायेगा।

(ग) उपरोक्त सत्यापित निष्प्रयोज्यता टिप्पणी नियंत्रक अधिकारी के द्वारा उचित माध्यम से निष्प्रयोज्यता समिति के नोडल अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। समिति के नोडल अधिकारी द्वारा ससमय निष्प्रयोज्यता समिति की बैठक आयोजित कराकर प्राप्त टिप्पणियाँ समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जायेंगी। निष्प्रयोज्यता समिति द्वारा उपकरणों की सूचना को **प्रारूप–ख** पर इंगित करते हुए निष्प्रयोज्यता के सम्बन्ध में अग्रेतर निर्णय लिया जायेगा।

2.4 निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरणों का निस्तारणः–

कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरण आदि को समिति द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के उपरान्त उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के मुख्यालय स्तर पर जानपद के अन्तर्गत अनुरक्षण इकाई एवं विद्युत वितरण निगमों के स्तर पर सामग्री प्रबन्धन इकाई द्वारा वार्षिक ह्रास मूल्य प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत दर (स्ट्रेट लाइन मेथड) से आंकलित *अवशेष मूल्य (Assessed ResidualValue) के आधार पर, कारपोरेशन के प्रचलित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिकृत संग्रहण एवं निपटान एजेंसियों के माध्यम मे टेण्डर, आक्शन अथवा स्क्रैप के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट श्रेणियों के उपकरणों जोकि एस0एल0डी0सी0, डाटा सेन्टर/डी0आर0 सेन्टर में स्थापित हैं, हेतु अध्यक्ष महोदय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अनुमोदनोपरान्त अलग से कार्यवाही की जायेगी।

**नोट– वर्तमान अथवा अवशेष मूल्य किसी भी स्थिति में क्रय मूल्य के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा।*

अध्यक्ष

संख्या :–3142(1)–कार्य/चौदह–पाकालि/2023–5–के/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग/आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन/वित्त/तकनीकी/वाणिज्य), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
6. अपर सचिव–I/II/III, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।

9. समस्त मुख्य अभियन्ता उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

10. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

11. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ।

12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

13. कट फाइल।

आज्ञा से,

(सद्गानन्द)
संयुक्त सचिव
(ज0श0प्रशि0 एवं कार्य)

प्रारूप–क

(अनुभाग/इकाई के प्रयोगार्थ)

(निष्प्रयोज्यता समिति को उपकरणों की निष्प्रयोज्यता हेतु भेजने का प्रारूप)

इकाई/अनुभाग का नामः–   दिनांक :–

क्रम सं0	आइटम नं0	कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरण/उत्पादक का नाम एवं विवरण	प्लांट/इन्वेन्टरी/रिकार्ड रजिस्टर नं0	मेक	माडल	सीरियल नं0	क्रय वर्ष (वास्तविक/अनुमानित	क्रय मूल्य	असेस्ड रिपेयर कास्ट (बियोन्ड इकोनोमिक रिपेयर की दशा में)	वर्तमान बुक वैल्यू (क्रय मूल्य–संचित मूल्य ह्रास)	निष्प्रयोज्यता हेतु प्रस्तावित करने का कारण

प्रारूप–ख

(निष्प्रयोज्यता समिति के प्रयोगार्थ)

(निष्प्रयोज्यता समिति द्वारा उपकरणों की निष्प्रयोज्यता हेतु प्रारूप)

निष्प्रयोज्यता टिप्पणी संदर्भ :–

क्रम सं0	आइटम नं0	कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरण का नाम एवं विवरण	मेक/माडल	निष्प्रयोज्यता का आधार				निष्प्रयोज्यता हेतु टिप्पणी (हाँ/नहीं)
				टेक्नीकली आबसोलीट(हाँ/नहीं)	बियोन्ड इकोनोमिक रिपेयर (हाँ/नहीं)	अनसर्विसेबुल (हाँ/नहीं)	फिजिकली डेमेज्ड (हाँ/नहीं)	

दिनांकः–

निष्प्रयोज्यता साराँश

प्रस्तावित आइटम की संख्या	
अनुमोदित आइटम की संख्या	
अस्वीकृत आइटम की संख्या	

Approved by:

Name:
Designation:
SAP-ID

Name:
Designation:
SAP-ID

Name:
Designation:
SAP-ID

Name:
Designation:
SAP-ID